केन फिन होम्स लिमिटेड

Can Fin Homes Ltd (Sponsor: CANARA BANK)

डीडीए बिल्डिंग, प्रथम तल, नियर पारस सिनेमा, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली–110019 फोन: 011-26435815, 2643023, 011-26487529, 7625079108
ईमेल: delhi@canfinhomes.com CIN: L85110KA1987PLC008699

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना, परिशिष्ट IV-A [नियम 9 (1) के परंतुक देखें]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा **केन फिन होम्स लिमिटेड, एनसीआर–नई दिल्ली, नेहरु प्लेस शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, की तरफ से दिनाक **30.01.2023** को **"जैसी है जहाँ है", जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहाँ है"** आधार पर डिमाड नॉटिस की सबधित तारीखों के अनुसार सबधित उधारकर्ताओं और गारटरों से कैन फिन हाम्स लिमिटेड के ब्याज और अन्य शुल्क जिनका नीचे उल्लेख किया गया है, वसुलने के लिए बचा जाएगा।

क्र. सं.	उधारकर्ताओं और गारंटरों का नाम	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार देय राशि	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि	कब्जे का प्रकार	संपत्ति का विवरण
1.	श्री रमिन्दर कुमार पुत्र श्रीप्रकाश श्रीमती प्रिया ठाकुर पत्नी रमिन्दर कुमार **गारंटर:** जगश्वेर शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा	06-11-2019	रु. 11,71,105.00	रु. 9,30,000.00	रु. 93,000.00	भौतिक	फ्लैट नंबर–217, भू–तल, ब्लॉक–ए, सेक्टर–ओमिक्रान–1, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश पूर्व: अन्य सम्पत्ति, पश्चिम: फ्लैट नंबर –ए–220 उत्तर: रोड, दक्षिण: फ्लैट नंबर –ए–218

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कैन फिन होम्स लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट **(www.canfinhomes.com)** में उपलब्ध कराया गया है। कृपया निम्नलिखित लिंक देखें **https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx**

दिनांक: 09.01.2023 स्थान: नेहरु प्लेस, नई दिल्ली — हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, कैन फिन होम्स लिमिटेड

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

.....भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

मंडल सस्त्रा सेंटर, गुरूग्राम
प्लॉट नं. 5, सेक्टर–32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, मेल आईडी : cs8230@pnb.co.in

कर्जदार को 60 दिन का नोटिस

सेवा में — **दिनांक: 22.11.2022**

मैसर्स सोनू अग्रवाल पुत्र श्री देवी प्रसाद, मकान नं. 70/1 बी, श्याम नगर, पलवल, हरियाणा–121102, **अन्य पता:** निकट धरम पब्लिक स्कूल, खयाली एन्क्लेव, निकट हुडा चौक, पलवल, हरियाणा–122102
(मौजा पलवल, निकट ग्राम नंगला लखी सिंह तहसील एवं जिला पलवल, हरियाणा–121102 में स्थित खेवट/खाता नंबर 1065/1239, रेक्ट. नंबर 45, किला नंबर 2/2(0–8), 3/1(6–19), 3/2(1–1), 8(5–13), 10/1(0–3), 14/1(0–3) में शामिल 74 वर्ग गज, देखें टाइटल डीड नंबर 8109 दिनांकित 30–01–2014
श्री देवी प्रसाद पुत्र श्री तुला राम, मकान नंबर 70/1 बी, श्याम नगर, पलवल, हरियाणा–121102, **अन्य पता :** निकट धरम पब्लिक स्कूल, खयाली एन्क्लेव, निकट हुडा चौक, पलवल, हरियाणा–122102, **श्री विकास भास्कर,** मकान नंबर 70बी, श्याम नगर, पलवल, हरियाणा–121102, **मीरा देवी,** ग्राम भूपानी, डाक घर– भास्कोला, तहसील एवं जिला फरीदाबाद–121001 (मौजा बासेलवा, तहसील एवं जिला फरीदाबाद–121001 में स्थित प्लॉट नंबर 37 एवं 38, क्षेत्रफल परिमाप 111 वर्ग गज, जो खसरा नंबर 26/10, 11, 21, 22/2, 23/1, 35/2 का हिस्सा है।)
गारंटर श्री विकास भास्कर, मकान नंबर 70बी, श्याम नगर, पलवल–121102, **मीरा देवी,** ग्राम भूपानी, डाक घर– भास्कोला, तहसील एवं जिला फरीदाबाद–121001 (मौजा बासेलवा, तहसील एवं जिला फरीदाबाद–121001 में स्थित प्लॉट नंबर 37 एवं 38, क्षेत्रफल परिमाप 111 वर्ग गज, जो खसरा नंबर 26/10, 11, 21, 22/2, 23/1, 35/2 का हिस्सा है।)

प्रिय श्रीमान,

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफासी) अधिनियम, 2002 (सरफासी) की धारा 13(2) के तहत संशोधित सूचना

विषय : खाता नंबर – 666400छ00004874 तथा 666400छ00006270 श्री सोनू अग्रवाल एवं श्री देवी प्रसाद लिमिटेड द्वारा प्राप्त की गई क्रेडिट सुविधाएं (आवास ऋण)

आप श्री सोनू अग्रवाल एवं श्री देवी प्रसाद ने निम्नलिखित क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त की हैं :–

क्र. सं.	सुविधा	सीमा (लिमिट)	ब्याज की दर	बकाया राशि (एनपीए की तिथि अर्थात 30–01–2021 को) (मूलधन + ब्याज 31–03–2021 तक)	30–12–2022 तक कुल बकाया राशि + आगे ब्याज + अन्य प्रभार
1	हाउसिंग लोन 666400NC00004874	15,00,000	7.90%	13,04,179.00	13,64,736.00/
2	हाउसिंग लोन 666400NC00004874	5,00,000	7.90%	4,27,489.00	4,24,973.56/-
	कुल	**20,00,000**	-	रू. 17,31,668 + आगे ब्याज और प्रभार	रू. 17,89,709.56 + आगे ब्याज और प्रभार

किश्त/ब्याज/मूल ऋण राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण खाता भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार दिनांक प्रभार 30–01–2021 को एनपीए सूचीबद्ध किया जा चुका है। हमने पत्र दिनांकित 30–12–2022 के माध्यम से उपरोक्त सुविधाओं के तहत सम्पूर्ण बकाया राशि ब्याज और अन्य प्रभारों सहित चुकाने की मांग/प्रत्याह्वान किया है। हम एतद्द्वारा आपकी गारंटी का आह्वान करते हैं।

बैंक की कुल बकाया राशि 30–12–2022 तक रू. 17,89,709.56 (रू. सत्रह लाख नवासी हजार सात सौ नौ तथा पैसे छप्पन मात्र) + आगे पूर्ण भुगतान किए जाने तक संविदात्मक दर पर ब्याज और अन्य कानूनी प्रभार हैं (इसमें आगे "प्रतिभूत ऋण" कहा गया है)।

उक्त सुविधाओं के तहत बकाया राशि की प्रतिभूति हेतु आपने अन्य के साथ निम्न सम्पत्तियों/आस्तियों के संबंध में प्रतिभूति हित सृजित किया है :–

• **प्राथमिक प्रतिभूति**

क्र.सं.	सुविधाएं	प्रतिभूति
1.	हाउसिंग लोन (666400NC00004874) & (666400NC00006270)	**टाइटल डीड नंबर 8109 दिनांकित 30–01–2014 के माध्यम से श्री सोनू अग्रवाल पुत्र देवी प्रसाद अग्रवाल और देवी प्रसाद अग्रवाल पुत्र तुला राम के नाम मौजा पलवल, निकट ग्राम नंगला लखी सिंह तहसील एवं जिला पलवल, हरियाणा में स्थित खेवट/खाता नंबर 1065/1239, रेक्ट. नंबर 45, किला नंबर 2/2(0–8), 3/1(6–19), 3/2(1–1), 8(5–13), 10/1(0–3), 14/1(0–3) में शामिल भूमि एवं भवन, क्षेत्रफल परिमाप 74 वर्ग गज का ईएम।**

• **अनुषंगी प्रतिभूति**

क्र.सं.	सुविधाएं	प्रतिभूति
1.	हाउसिंग लोन (666400NC00004874) & (666400NC00006270)	**टाइटल डीड नंबर 3057 दिनांकित 29–05–2007 के माध्यम से मीरा देवी पत्नी बालेश सिंह के नाम मौजा बासेलवा, तहसील एवं जिला फरीदाबाद में स्थित प्लॉट नंबर 37 एवं 38, क्षेत्रफल परिमाप 111 वर्ग गज, जो खसरा नंबर 26/10, 11, 21, 22/2, 23/1, 35/2 का हिस्सा है, के साथ भूमि एवं भवन का ईएम।**

हम एतद्द्वारा आपसे रू. 17,89,709.56 (रू. सत्रह लाख नवासी हजार सात सौ नौ तथा पैसे छप्पन मात्र) + पूर्ण भुगतान किए जाने तक संविदात्मक दर पर ब्याज और अन्य प्रभार इस सूचना की तिथि से 60 दिन (साठ दिन) के भीतर चुकाने की मांग करते हैं। इसमें असफल रहने पर, बैंक कानून के तहत उपलब्ध अन्य अधिकारों का उपयोग करने के अलावा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफासी) अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 13(4) के तहत उपलब्ध किसी भी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने का आशय रखता है। आपके द्वारा प्रतिभूत ऋण नहीं चुकाए जाने की स्थिति में बैंक द्वारा प्रवर्तित किए जाने वाली प्रतिभूत आस्तियों का विवरण निम्नानुसार है :

• **टाइटल डीड नंबर 8109 दिनांकित 30–01–2014 के माध्यम से श्री सोनू अग्रवाल पुत्र देवी प्रसाद अग्रवाल और देवी प्रसाद अग्रवाल पुत्र तुला राम के नाम मौजा पलवल, निकट ग्राम नंगला लखी सिंह तहसील एवं जिला पलवल, हरियाणा में स्थित खेवट/खाता नंबर 1065/1239, रेक्ट. नंबर 45, किला नंबर 2/2(0–8), 3/1(6–19), 3/2(1–1), 8(5–13), 10/1(0–3), 14/1(0–3) में शामिल भूमि एवं भवन, क्षेत्रफल परिमाप 74 वर्ग गज का ईएम।**

• **टाइटल डीड नंबर 3057 दिनांकित 29–05–2007 के माध्यम से मीरा देवी पत्नी बालेश सिंह के नाम मौजा बासेलवा, तहसील एवं जिला फरीदाबाद में स्थित प्लॉट नंबर 37 एवं 38, क्षेत्रफल परिमाप 111 वर्ग गज, जो खसरा नंबर 26/10, 11, 21, 22/2, 23/1, 35/2 का हिस्सा है, के साथ भूमि एवं भवन का ईएम।**

आपका ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत, आप यह सूचना प्राप्त करने के पश्चात, बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपरोक्त किसी भी प्रतिभूत आस्ति का अंतरण उसकी बिक्री, पट्टा या अन्य प्रकार से नहीं कर सकते हैं (व्यवसाय की सामान्य विधि को छोड़कर)।

आपको यह भी सूचना दी जाती है कि इस कानूनी व्यादेश/प्रतिबंध का उल्लंघन उक्त अधिनियम के अधीन एक अपराध है।

यदि किसी कारणवश, प्रतिभूत आस्तियां व्यवसाय की सामान्य विधि में बेची या पट्टे पर दी जाती हैं, तो बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि इस बैंक में जमा की जाएगी/बैंक को भेजी जाएगी। आपको इस राशि/आय का समुचित लेखा रखना होगा।

हमारा अन्य प्रतिभूतियां प्रवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित है।

कृपया इस सूचना के तहत इस मांग का पालन करें और सभी अरूचिकर स्थितियों से बचें। ऐसा नहीं करने पर, आगे आवश्यक कार्यवाही करने की बाध्यता होगी, जिसकी लागत एवं परिणामों के लिए आप पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।

यह सूचना बैंक द्वारा डीआरटी/न्यायालय, जैसी भी स्थिति है, में कानूनी कार्यवाही करने को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना जारी की जा रही है।

सरफासी ऐक्ट, 2002 के तहत हमारे सभी पूर्वतर नोटिस यह नोटिस जारी करने के बाद तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी,
वास्ते पंजाब नैशनल बैंक

हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड– परिसमापन के अंतर्गत की परिसंपत्तियों के लिए विक्रय सूचना

(माननीय एनसीएलटी आदेश दिनांकित 02–मई–2019 द्वारा परिसमापन के अंतर्गत एक कंपनी) कंपनी का पंजीकृत कार्यालय: साउथ टॉवर, चतुर्थ तल, स्कॉप मीनार कॉम्प्लेक्स, लक्ष्मीनगर, जनपद केंद्र, नई दिल्ली–110092

हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड– परिसमापन के अंतर्गत– की, ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता 2016 (विवरणों के लिए ई–नीलामी प्रक्रिया प्रलेख का संदर्भ लें), के तहत निम्नलिखित परिसंपत्तियों का, जैसी हैं जहां है आधार, जैसी हैं जो हैं आधार, वहां जो कुछ भी हैं आधार और बिना संसाधन आधार'' पर विक्रय करने हेतु, ई–नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलोजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) के माध्यम से दिनांक 13–02–2023 को दोपहर 12.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ) आयोजित की जानेवाली ई–नीलामी हेतु सार्वजनिक उद्घोषणा। परिसंपत्तियों का विक्रय, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा ई–नीलामी मंच **https://ncltauction.auctiontiger.net** के माध्यम से किया जाएगा।

स्थान / परिसंपत्तियां	पता / क्षेत्र	लॉट	आरक्षित मूल्य (आईएनआर)	वृद्धिशील बोली (आईएनआर)	धराज (आईएनआर)
नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड के रु. 100 प्रत्येक के 1,13,62,231 समता अंश	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (सीआईएन :यू21012एनएल1971एसजीसी 001349) जिसका पंजीकृत कार्यालय पेपर नगर, पी.ओ. –तुली, जनपद–मोकोकचुंग नागालैंड 798623 में स्थित है	लॉट–1	4,33,35,000	4,00,000	40,00,000
मारुति सुज़ुकी स्विफ्ट डिजीयर–एलएक्सआई डब्ल्यूबी02एजे8669 पेट्रोल, पंजीकरण दिनांक: 11.07.2016 कर वैध इस तिथि तक: 10.07.2021	एचसी ब्लॉक, निकट कलकत्ता हार्ट क्लिनिक एंड हॉस्पिटल, आईसी रोड, सेक्टर–।।।, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल–700106	लॉट–2	1,77,390	5,000	15,000

अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25–01–2023 को सायं 5 बजे तक है। यदि दिनांक 25–01–2023 को सायं 5 बजे तक कोई भी ईओआई प्राप्त नहीं होती है तो नीलामी निरस्त हो जाएगी। धराज के भुगतान की अंतिम तिथि 10–02–2023 को सायं 5 बजे तक है। समस्त ईओआई, **http://hindpaper.in** पर अपलोडेड आमंत्रणों के अधीन हैं। ई–नीलामी जानकारी प्रलेख तथा ऑनलाइन नीलामी विक्रय के सामान्य नियम एवं शर्तें, वेबसाइट **https://ncltauction.auctiontiger.net** पर भी उपलब्ध हैं। समस्त पत्र–व्यवहार अथवा संचार, **kuverma@gmail.com/liquidation.hpcl@gmail.com** को संबोधित/संप्रेषित किया जाना होगा।

कुलदीप वर्मा
हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के परिसमापक
आईबीबीआई पंजी. सं.– IBBI/IPA-001/IP-P00014/2016-17/10038
पंजीकृत कार्यालय: 46 बी.बी. गांगुली मार्ग, 5वां तल यूनिट नं.–501, कोलकाता–700012
एएफए इस तिथि तक वैध: 11–12–2023
पंजीकृत ईमेल आईडी: kuverma@gmail.com
दूरभाष: 91 98360 77900

दिनांक : 10–01–2023
स्थान : कोलकाता

Fullerton India Credit Company Limited

Fullerton India — Rishta Guarantee Ka

कॉर्पोरेट कार्यालय: सुप्रीम बिजनेस पार्क, तल 5 एवं 6, बी विंग, पवई, मुम्बई–400 076

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के अंतर्गत)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत फ्यूलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय मेघ टावर्स, 3रा तल, पुराना नं. 307, नया नं. 165, पूनामल्ली हाई रोड मदुरावोयल, चेन्नई, तमिलनाडु–600095 तथा कॉर्पोरेट कार्यालय तल 5 एवं 6, बी विंग, सुप्रीम आईटी पार्क, सुप्रीम सिटी, लेक कैशल के पीछे, पवई, मुम्बई–400076 में है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 10.10.2022 जारी कर ऋणधारकों 1) **विश्व कर्मा इंजी. वर्क्स, 2) संजीव कुमार धीमान, 3) धर्मेन्द्र धीमान, 4) योगेन्द्र कुमार धीमान** को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि **ऋण खाता सं. #** 173001310232748 **एवं** 173001310718437 के अंतर्गत **रु. 2,87,29,869/– (रु. दो करोड़ सत्तासी लाख उन्तीस हजार आठ सौ उन्हत्तर मात्र)** वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 5 जनवरी, 2023 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय **रु. 2,87,29,869/– (रु. दो करोड़ सत्तासी लाख उन्तीस हजार आठ सौ उन्हत्तर मात्र)** तथा उस पर ब्याज के लिये फ्यूलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण: शकरपुर दिल्ली के नाम से विदित आवासीय कॉलोनी में स्थित स्कूल ब्लॉक–II में खसरा नं.–102 में सम्पत्ति/मकान सं. एस–502, एरिया माप 190 वर्ग वाईस।

स्थान: गुड़गाँव — **उज्वल–प्राधिकृत अधिकारी**
तिथि: 10.01.2023 — **फ्यूलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड**

SBI भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा–।

प्रथम तल, 23, नजफगढ़ रोड़, नई दिल्ली–110015,
फोन: 011-25419177, 25412977, ईमेल : sbi.05169@sbi.co.in

कब्जा सचूना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन **भारतीय स्टेट बैंक,** तनावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा, 23, नजफगढ़ रोड़, ज़खीरा फ्लाईओवर के पास, नई दिल्ली का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ पठित धारा 13(12) के नियम 3 के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत **उधारकर्ता मैसर्स लांबा टूल्स प्रा. लि., प्लॉट नं. 653, मेन रोहतक रोड, पिलर नं. 504 के सामने, मुंडका, दिल्ली– 110041 (उधारकर्ता) और 1. श्री हरप्रीत सिंह लांबा (निदेशक और व्यक्तिगत गारंटर), 2. श्रीमती तरणजीत कौर (निदेशक और व्यक्तिगत गारंटर), 3. श्रीमती गुनीत लांबा (निदेशक और व्यक्तिगत गारंटर), 4. श्री जसविंदर लांबा (व्यक्तिगत गारंटर) 5. श्री गुरनाम लांबा (व्यक्तिगत गारंटर)** को एक मांग नोटिस दिनांक **08.09.2022** को जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि रु **6,14,76,578.00 (रू. छः करोड चौदह लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ अट्ठहत्तर मात्र) दिनांक 08.09.2022 तक और भविष्य का ब्याज, खर्चे एवं अन्य प्रभार इत्यादि सहित** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार/गारंटर उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 4 उक्त नियमो के (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा **07.01.2023** को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **भारतीय स्टेट बैंक,** तनावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा, 23, नजफगढ़ रोड़, ज़खीरा फ्लाईओवर के पास, नई दिल्ली के प्रभार वास्ते कुल राशि रु **6,14,76,578.00 (रू. छः करोड चौदह लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ अट्ठहत्तर मात्र) दिनांक 08.09.2022 तक और भविष्य का ब्याज, खर्चे एवं अन्य प्रभार इत्यादि सहित** के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

संपत्तियों का विवरण

1. सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूमि खसरा नं. 3339/3, क्षेत्रफल 0.040 हैक्टयर और खसरा नं. 3339/25, क्षेत्रफल 0.238 हैक्टयर और खसरा नं. 3339/5, भूमि क्षेत्रफल 0.038 हैक्टयर जोकि गाँव – लाकरी फैजलपुर, तहसील और जिला मुरादाबाद, यू.पी. में स्थित, बंधक पंजीकृत बही नं. 1, जिल्द नं. 14659, पेज नं. 339–372, क्र.सं. 17290, दिनांकित 28.09.2018 सब रजिस्ट्रार सदर– I, मुरादाबाद (यू.पी.) में स्थित

2. सभी प्लांट एवं मशीनरी फैक्ट्री परिसर लाम्बा टूल्स प्रा. लि., खसरा नं. 3339/3, खसरा नं. 3339/25 और 3339/5, गाँव लाकरी, फैजरपुर, तहसील और जिला मुरादाबाद में स्थित

दिनांक : 07-01-2023 स्थान : मुरादाबाद — **प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक**

अभियुक्त व्यक्तियों की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 सीआरपीसी देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि दो अभियुक्तों **1. अंकिता मीरचंदानी 2. कंचन मीरचंदानी पार्टनर्स अर्ना बाय अंकिता एंड अमित, 42 चंदर लोक, रोड नं.44, पीतमपुरा, दिल्ली–110034, मोबाईल–9899822777, 011–45683777 और एटी–डब्लू जेड–255, प्रथम तल पुराना राशन दफ्तर के सामने गुफा वाला मंदिर, शकूरपुर गांव, शकूरपुर कॉलोनी, दिल्ली–110034 मो: 9899822777 ने धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत थाना: करोल बाग,** दिल्ली के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **1. अंकिता मीरचंदानी 2. कंचन मीरचंदानी** नहीं मिल रहे हैं और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **1. अंकिता मीरचंदानी 2. कंचन मीरचंदानी** फरार हो गये हैं (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहे हैं)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत थाना: करोल बाग, दिल्ली के उक्त अभियुक्त 1. अंकिता मीरचंदानी 2. कंचन मीरचंदानी** से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **09.02.2023** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
भुजाली
महानगर दण्डाधिकारी (एनआई एक्ट)–01
(सेन्ट्रल) कमरा नं. 201,
द्वितीय तल, कोर्ट बिल्डिंग एनेक्सी–II
तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/125/CD/2023

IDBI BANK

CIN:L65190MH2004GOI148838

आई.डी.बी.आई बैंक लिमिटेड

शाखा कार्यालय: आरजेड–11, ब्लॉक डी, मेट्रो पिलर नंबर 713/714 राम नगर के पास, ओम विहार, उत्तम नगर, नई दिल्ली पिन: 110059

स्वर्ण आभूषणों की नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

ऋणी द्वारा बैंक को देय बकाए की वसूली के उद्देश्य से, बैंक के पक्ष में गिरवी रखे गए सोने के गहनों की सार्वजनिक नीलामी के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। नीलामी 27.01.2023 को आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, उत्तम नगर शाखा में 03:00, दोपहर से बैंक के परिसर आरजेड–11, ब्लॉक डी, मेट्रो पिलर नंबर के पास। 713/714 राम नगर, ओम विहार, उत्तम नगर, नई दिल्ली पिन: 110059, में आयोजित की जाएगी।

क्र. सं.	खाता नंबर	उधारकर्ता का नाम और पता	गिरवी सोने के आभूषणों का विवरण	ग्राम में सकल वजन	ईएमडी रु. में (अनुमानित)	आरक्षित मूल्य रुपये में (अनुमानित)
1.	19806711–00001489	**पवन कुमार** पुत्र वीर भान कनहारा कनहर 62, भिवानी, हरियाणा, पिनकोड 127308	2 पीस कान की बाली (18के) 1 मांग टिक्का (20के) 2 पेंडेंट (19के) 1 नथ (20के) 1 रिंग (18के)	5.00 3.91 3.82 1.92 4.80	रू. 2281.47/- (3% जीएसटी के साथ)	रू. 76049/- (3% जीएसटी के साथ)

नीलामी बैंक द्वारा निर्धारित बिक्री के नियमों और शर्तों के अधीन होगी, जिसकी एक प्रति 10.01.2023 से 24.01.2023 तक उत्तम नगर शाखा के नोटिस बोर्ड में प्रदर्शित की जाएगी और इच्छुक पक्ष इसे संदर्भित कर सकते हैं। नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता को बिक्री के पूर्वोक्त नियमों और शर्तों की पूरी जानकारी होना समझा जाएगा। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 25.01.2023 है।

स्थान: नई दिल्ली — **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक: 09.01.2023

वैक्सन्स ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड

सीआईएन : एल51502डीएल2003पीएलसी119052
पंजीकृत कार्यालय: 105, प्रथम तल, बरौदिया टॉवर, भूखंड सं. 12, डी ब्लॉक, सेंट्रल मार्किट, प्रशांत विहार, नई दिल्ली – 110085, दूरभाष सं.: 0260–3255493
ई–मेल: info@vaksonsautomobiles.com, वेबसाइट : https://vaksonsautomobiles.com

सूचना

एतद्द्वारा वैकसन्स ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों को कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 (''नियमावली'') के नियम 20 एवं नियम 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') की धारा 110, सामान्य बैठक पर विरचित साचिविक मानक–2 (''एसएस–2''), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 (''सूचीकरण विनियमावली'') के विनियम 44, कुछ समय के लिये लागू उसके किसी सांविधिक संशोधन(नों), स्पष्टीकरण(णों), विकल्प(पों) अथवा पुनर–अधिनियमन(नों) सहित, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों (''एमसीए परिपत्र'') तथा किसी अन्य प्रयोज्य विधि–व्यवस्था एवं विनियम, के अनुपालन में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (ई–वोटिंग) के माध्यम से वोटिंग द्वारा पोस्टल बैलेट के द्वारा विशेष व्यवसाय के रूप में **सुश्री राधिका खरौटे की कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति** के विचार हेतु तथा इस हेतु सदस्यों की सहमति एतद्द्वारा मांगी जाती है।

एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी ने 06 जनवरी 2023 (''कट ऑफ तिथि'') के अनुसार अंशों का धारण करनेवाले कंपनी के सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में पोस्टल बैलेट सूचना प्रेषित करने का कार्य 9 जनवरी 2023 को पूर्ण कर लिया है। सदस्यगण जिनके नाम कट–ऑफ तिथि के अनुसार डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में अभिलेखित हैं, वे ही ई–वोटिंग द्वारा अपने वोट डालने के लिये अधिकृत होंगे। और ऐसे सदस्यगण जिन्होंने अपने ईमेल पते तथा मोबाइल नंबर्स पंजीकृत नहीं कराये हैं, उनसे विनती है कि वे उन्हें आरटीए अर्थात् कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड के साथ उनको **investor@cameoindia.com** पर मेल लिखकर पंजीकृत/अद्यतनीकृत करायें।

दिशानिर्देशों के अनुसार, पोस्टल बैलेट प्रपत्रों एवं प्री–पेड बिजनेस रिप्लाई एंवलप के साथ पोस्टल बैलेट सूचना की वास्तविक प्रति सदस्यों को प्रेषित नहीं की जायेगी। सदस्यों की सहमति अथवा असहमति की सूचना का संचारण केवल वोटिंग सिस्टम तथा बैलेट प्रपत्रों के माध्यम से संपन्न हो सकेगा।

इस संबंध में पोस्टल बैलेट की सूचना को कंपनी की वेबसाइट **www.http://vaksonsautomobiles.com/** से तथा एनएसडीएल (ई–वोटिंग सेवा प्रदाता के रूप में) की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** से भी डाउनलोड किया जा सकता है। सूचना, बीएसई लिमिटेड, जहां कंपनी के अंश सूचीबद्ध हैं, की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की गयी है।

कंपनी ने अपने समस्त सदस्यों को ई–वोटिंग सुविधा/पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराने के उद्देश्